





UPSIDA Complett A-1/4, Lakhanpur, Kanpur-208024

Tel.: 0512-582851-53 Fax: 0512-2580797

Website: www.upside.com CIN-U26961SG002834

Reference No.

/UPSIDA/

Dated:

Notice for Public Objection / Suggestion on Revised Layout Plan of Industrial Area Trishundi, District-Ayodhya including amalgamation of Industrial Plot No. A-1, A-2, A-3, A-4, B-1 & B-2 has been amalgamated and thereby creation of a new Plot No. A1-4 / B1-2 (Measuring-139542.67 Sq.m.).

- 1 (a) The Revised Layout Plan of Industrial Area Trishundi, including creation of amalgamated of industrial Plot No. A1-4 / B1-2 of Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) situated in District-Ayodhya has been prepared.
- (b) A copy thereof will be available for inspection at the Regional Manager of the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority, Ayodhya between 10:00 am to 5:00 pm on all working days till the date mentioned in Para 3 hereafter as well as Website: www.onlineupsidc.com
- Objections and Suggestions are hereby invited with respect of the Draft Layout/Amalgamation Plan.
- Objections and Suggestions are shall be sent in writing to the office of Regional Manager, UPSIDA at Ayodhya within 15 days from the date of publication of this notice mentioning subject as "Regarding Public Objection / Suggestion on Draft Layout / Amalgamation Plan for Trishundi, District-Ayodhya Plot No. A1-4 /B1-2. Any person making the Objections or Suggestions should also give his/her full name & address, Email id and contact number.

(Regional Manager)
U.P. State Industrial Development Authority



## उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, अयोध्या। संदर्भ संख्या 63

/ सीडा / एटीपी

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स A-1/4ए लखनपुर कानपुर – 208024

दूरभाष : 0512- 582851-53 फैक्स : 0512-2580797 वेबसाइट:www.upsidc.com

वर्षाइट:<u>www.upside.cor</u> CIN-U26961SGC002834

दिनांकः 08-04-2022

विषयः औ०क्षे० त्रिशुण्डी के औद्योगिक मूखण्ड संख्या ए-1, ए-2, ए-3, ए-4 एवं बी-1, बी-2 के संवित्तियन के सम्बंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या—4104 दिनांक 24.02.2022 के माध्यम से मेसर्स एस0एल0एम0जी0 बेवरेजेज प्रा0लि0 द्वारा 32 से 35 एकड़ भूमि औ०क्षे० त्रिशुण्डी में आवंटन किये जाने के माँग के कम में तलपट मानचित्र में भूखण्ड सं0 ए—1, ए—2, ए—3, ए—4 एवं बी—1, बी—2 सम्मिलित करते हुए नया भूखण्ड सृजित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / प्रपत्रों के आधार पर औ०क्षे० त्रिशुण्डी के औद्योगिक भूखण्ड संख्या । ए—1, ए—2, ए—3, ए—4 एवं बी—1, बी—2 को एकीकृत कर भूखण्ड संख्या ए 1—4/बी 1—2 (कुल क्षे० 139542.67 वर्गमी०) नामित करते हुए संविलियन का सशर्त सैद्धान्तिक अनुमोदन मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 08.04.2022 को प्रदान किया गया है। आवंटन पत्र निर्गत करने से पूर्व निम्न कार्यवाही आपके द्वारा सुनिश्चित की जानी है:—

संविलियत भूखण्ड का भू—उपयोग यथावत् औद्योगिक रहेगा।

2 संविलियत भूखण्ड के सेटबैक, भू—आच्छादन, एफ०ए०आर० एवं अन्य मानक यूपीसीडा के मानकों के अनुसार निर्धारित होंगे।

3 प्राधिकरण की 36वीं बोर्ड बैठक मेगा एवं सामान्य परियोजनाओं आवंटन नीति में अनुमोदन के कम में निर्गत कार्यालय आदेश दि0 09.10.2020 के कम में मेगा प्रोजेक्ट हेतु टेलर मेड भूखण्ड के सृजन के सम्बन्ध में जमा करायी गयी priority आवंटन फीस भूखण्ड सृजन के उपरान्त उद्यमी द्वारा आवेदन न किये जाने की दशा में उक्त फीस वापस नहीं की जायेगी।

4 भूखण्ड सं0 ए—3 एवं ए—2 में से गुजर रहे नाले को प्राधिकरण की 27वीं बोर्ड बैठक में नाले की शिफिटंग के प्रदत्त अनुमोदन के कम में क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) द्वारा परस्पर समन्वय स्थापित करते हुऐ नाले को यथाशीध्र स्थानान्तरित कराया जाना होगा।

र्यूपीसीडा के योजना बनाने एवं अन्तिमीकरण विनियमन,2004 के अनुच्छेद 3.3.8 के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवंटी के चयनित प्रस्ताव को दो समाचार पत्रों एक अंग्रेजी एवं एक हिन्दी समाचार पत्र, जो widely circulated हो, में जनापत्ति प्रकाशित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा विज्ञप्ति में निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को संकलित करते हुए एवं प्रकाशित विज्ञप्ति के समाचार पत्रों की दो—दो प्रति एटीपी अनुभाग, मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

औ०क्षे० त्रिशुण्डी के औद्योगिक भूखण्ड संख्या ए 1–4/बी 1–2 (कुल क्षे० 139542.67 वर्गमी०) का सैद्धान्तिक अनुमोदित संविलियन मानचित्र एवं विज्ञप्ति प्रारूप की प्रति संलग्न कर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। संलग्नकः यथोक्त।

(निमिषा शर्मा) उप महाप्रबन्धक (वास्तुo / नियोo) दिनांकः

पृष्ठांकित संख्या /सीडा/एटीपी प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 सहायक महाप्रवन्धक (प्र० / सा०), उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, औ०क्षे० अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर।

2 श्रीमती मोनिका, सहायक महाप्रबन्धक (प्र०/सा०) एवं नोडल अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, लखनऊ।

3 प्रभारी (कम्प्यूटर), मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त संलग्न मानचित्र एवं विज्ञप्ति को वेबसाइट पर 15 दिन तक अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

4 वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), नि०ख०–७, उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, लखनऊ।

5 निजी सचिव (मु०का०अ०/अ०मु०का०अ०(एन), उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, मुख्यालय, कानपुर।

(निमिषा शर्मा) उप महाप्रबन्धक (वास्तुo / नियो०)